



पूर्व-बोली (प्री-बिड) बैठक के कार्यवृत्त - एमओपी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता, आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र और आरबीआई संग्रहालय, 8, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 में 14 कॉफी वेंडिंग मशीनों का इंस्टॉलेशन और रखरखाव और (ii) उपर्युक्त तीन स्थानों पर स्थापित कॉफी वेंडिंग मशीनों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वार्षिक करार

ई-निविदा सं: [आरबीआई/कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/12/25-26/ईटी/1068\[कॉफी मशीन इंस्टॉलेशन\]](#)

इस ई-निविदा के लिए ऑफ़लाइन पूर्व-बोली बैठक 11 मार्च 2026 को मुख्य कार्यालय परिसर, आरबीआई, कोलकाता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान निम्नलिखित बोलीदाता उपस्थित थे:

क्रम सं.	नाम	संस्था
1	Shri Gourab Chowdhury	M/s CCL Products (India) Limited
2	Shri Pranab Kumar Roy	M/s Godrej Prime Vending

2. बैठक के दौरान आरबीआई के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

क्रम सं.	नाम	संस्था
1	Ms. Debobeen R. Banerjee	Assistant General Manager
2	Shri Swapnil V Bharsat	Assistant Manager

3. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्न और बैंक अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

क्रम सं.	बोली लगाने (बोलीदाता) वालों के प्रश्न	आरबीआई का स्पष्टीकरण
1	क्या कॉफी बीन्स की जगह पहले से मिक्स कॉफी की अनुमति होगी?	निविदा दस्तावेज़ में बताई गई शर्तों और नियमों के अनुसार, केवल 'बीन-टू-कप' (Bean-to-Cup) कॉफ़ी वेंडिंग मशीनें ही स्वीकार्य हैं। पहले से मिश्रित (pre-mixed) कॉफ़ी वेंडिंग मशीनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आवश्यकता कॉफ़ी बीन्स से तैयार की गई ताज़ी बनी (freshly brewed) कॉफ़ी की है।

2	कितनी कॉफी वेंडिंग मशीनों की ज़रूरत होगी?	इस अनुबंध के तहत कुल 14 (चौदह) कॉफी वेंडिंग मशीनों की आवश्यकता है। इनमें से, 11 मशीनें मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, 15, एन. एस. रोड, कोलकाता में लगाई जाएंगी, और शेष 3 मशीनें आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र / आरबीआई संग्रहालय, 8, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता में लगायी जाएंगी।
3	बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने के लिए भुगतान के क्या तरीके हैं?	<p>बयाना जमा राशि (ईएमडी) एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जमा की जा सकती है।</p> <p>एनईएफटी के लिए, राशि 'भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता' के पक्ष में खाता संख्या 186003001, IFSC: RBIS0KLP01 पर भेजी जाएगी; लेनदेन के विवरण (transaction remarks) में बोली लगाने वाले का नाम/कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।</p> <p>वैकल्पिक रूप से, ईएमडी एक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकती है, जो "भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता" के पक्ष में बनाया गया हो।</p>

4. इसके अलावा, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी गई कि वे एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध एक्सेल प्रारूप में मूल्य बोली जमा कर सकते हैं। इसे विधिवत भरा जाएगा और बोलीदाताओं द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
(पश्चिम बंगाल और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह)